



2026:AHC:178713

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8720 सन् 2026

रोहित तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अभिषेक तिवारी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. सुना गया, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 190 सन् 2024, धारा 85, 115(2), 351(3), 352, 82(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- जॉर्ज टाउन, जनपद- प्रयागराज के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक सूचनाकर्ता का पति है। उसे एक छोटे-मोटे वैवाहिक विवाद के कारण असत्य रूप से इस मामले में नामित किया गया है। बी.एन.एस. की धारा 82(2) को छोड़कर, किसी भी अपराध में, दोषसिद्धि होने की दशा में, सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंड नहीं है। शपथ-पत्र के अनुच्छेद संख्या 16 में किए गए कथनों पर भरोसा करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है और अभियोजन के संस्करण को रंग देने के उद्देश्य से ही आरोप लगाए गए हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक तथा एक सोनी तिवारी, जिसे आवेदक की दूसरी पत्नी बताया गया है, के फोटोग्राफ्स युक्त एक पेन ड्राइव विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है और उक्त पेन ड्राइव तथा छायाचित्र (फोटोग्राफ्स) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि आवेदक ने अपनी प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया है। उन्होंने सोनी तिवारी की माता के कथन का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि उसकी पुत्री को आवेदक के प्रथम विवाह की जानकारी दिए बिना छल पूर्वक विवाह के लिए राजी किया गया।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. यह स्वीकृत तथ्य है कि सोनी तिवारी का अद्यतन तक परीक्षण नहीं हुआ है। श्रीमती प्रेमा तिवारी का भा.ना.सु.सं. की धारा 180 के अंतर्गत कोई पृथक कथन दर्ज किए जाने का प्रतीत नहीं होता है। मैंने केस डायरी का अवलोकन किया है जिसमें सोनी तिवारी की माता, अर्थात् प्रेमा तिवारी के संबंध में यह टिप्पणी अंकित है कि उसकी पुत्री को विवाह करने हेतु छल किया गया, जो विवेचना अधिकारी को दी गई पेन ड्राइव तथा फोटोग्राफ्स के अवलोकन का भाग है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद स्वीकृत है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को कि पुलिस द्वारा अभी तक सोनी तिवारी का कथन दर्ज नहीं किया गया है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम-दृष्ट्या मामला बनता है।
8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **रोहित तिवारी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-
 - i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णयन हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं समझा जाएगा।

24 अगस्त, 2026

सचिन

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)